न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
डालीबाई बेवा बनाम शांतिलाल
प्रकरण संख्या - 173/2022 वाद
GCMS No. – 2022/441

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 173/2022 वाद

GCMS No. – 2022/441

1. मु. डालीबाई बेवा नारायण जी अहीर निवासी मोड़ जी का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री पुष्कर पिता शांतिलाल जी अहीर निवासी मोड़ जी का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

–– वादीगण

बनाम

1. श्री शांतिलाल पिता नारायण जी अहीर निवासी मोड़ जी का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री राजमल पिता शांतिलाल जी अहीर निवासी मोड़ जी का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

प्रकरण आज दिनांक को वादीगण के अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेष आहुजा की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 133 के आराजी नंबर 618 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 623 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 679 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 681 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 712 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु. चाह कुल किता 5 कुल रकबा 2.6300 हैक्टेयर भूमि में वादिया क्रमांक 1 डालीबाई का 1/2, वादी 2 पुष्कर पिता [illegible] का 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 शांतिलाल पिता नारायण [illegible] व प्र[illegible]दी क्रमांक 2 राजमल पिता शांतिलाल अहीर प्रत्येक का 1/6 [illegible] हक हि[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:41 IST
Reason: SelfAttested

यह आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner